

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ 23(46)लेखा/आकाशि/विविध/छात्रवृत्ति/2019-20/528
समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान

दिनांक- 23.10.19


विषय:-वर्ष 2019-20 में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एन.एस.पी) पर शिक्षण संस्थाओं के पंजीयन तथा छात्रवृत्ति के ऑनलाईन आवेदन पत्रों एवं उनकी स्कूटनी कराने बाबत।

संदर्भ:-उपनिदेशक-द्वितीय, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग. राज.जयपुर का पत्रांक-एफ4(3)अ.स.नि/मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति/2019-20/10095-101 दिनांक-23.09.19 एवं प्रमुख शासन सचिव, अल्प संख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग का पत्रांक-एफ 4(3) अ.स.नि/मेरिट.कम.मीन्स/छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ/2019-20/822 दिनांक-4.10.19

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2019-20 में अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी) हेतु संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित पोस्ट मैट्रिक व मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं में समुदाय के अध्ययनरत विद्यार्थियों को दिनांक-31.10.19 तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि निर्धारित की है।

अतः उक्त संबंध में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अधिकाधिक संख्या में पंजीयन बाबत एवं छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों की पूर्ण जांच उपरान्त निर्धारित अवधि में 15.11.19 तक पात्र आवेदनों की ऑनलाईन स्कूटनी कर अप्रेषित करवाये जाने की व्यवस्था करावें, ताकि योजना से कोई भी पात्र विद्यार्थी लाभान्वित होने से वंचित नहीं रहे, अन्यथा सम्पूर्ण जिम्मेदारी शिक्षण संस्थान की होगी। उक्त संबंध में पूर्व में भी विभाग के क्रमांक: एफ 23(46)लेखा/आकाशि/विविध/छात्रवृत्ति/2019-20/374 दिनांक-13.9.19 द्वारा लिखा गया था तथा इस संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.minority.rajasthan.gov.in एवं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (www.scholarship.gov.in) पर भी देखी जा सकती है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार



(प्रदीप कुमार बोरड़)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(46)लेखा/आकाशि/विविध/छात्रवृत्ति/2019-20/529-531 दिनांक-23.10.19
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को डायरी क्रमांक-7274 दिनांक-7.10.19, 7286 दिनांक-9.10.19, 7326 दिनांक-10.10.19 के क्रम में।
2. उप निदेशक-द्वितीय, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग. राज.जयपुर को संदर्भित पत्र के क्रम में।
3. प्रभारी, वेबसाइट को अपलाड हेतु।


(राजकुमार मीना)
वित्तीय सलाहकार

28

स्मरण पत्र

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ0 राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302015
ईमेल: raj.minocell@gmail.com
वेबसाइट: www.minority.rajasthan.gov.in
फोन: 0141-2711773

क्रमांक:- एफ4(3)अ0स0नि0/मेरिट कम मीन्स/छात्रवृत्ति/2019-20/ 10095-101

दिनांक :- 23/9/19

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
4. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
5. शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
6. आयुक्त, पशु पालन विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
7. आयुक्त, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।

D. No. 746/PS/GCL/0
Dated. 11.10.19

विषय :- वर्ष 2019-20 में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर शिक्षण संस्थाओं के पंजीयन तथा छात्रवृत्ति के ऑनलाईन आवेदन पत्रों एवं उनकी स्कूटनी कराने बाबत।

संदर्भ:- इस कार्यालय के पत्रांक 8764-70 दिनांक 27.08.2019 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके अनुसार वर्ष 2019-20 में अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी) हेतु संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित पोस्ट मैट्रिक व मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं में समुदाय के अध्ययनरत विद्यार्थियों को दिनांक 31.10.2019 तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन किये जाने कि अंतिम तिथी निर्धारित की है। छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ हुए 2 माह से भी अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर शिक्षण संस्थाओं के पंजीयन बहुत कम हुए हैं फलस्वरूप जिन संस्थाओं का अभी तक पंजीयन नहीं हुए है, उनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा वर्ष 2019-20 में ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन करना संभव नहीं हो पायेगा।

अतः उक्त संबंध में आपके अधीनस्थ शिक्षण संस्थाओं को अधिकाधिक संख्या में पंजीयन बाबत आवश्यक निर्देश एवं छात्रवृत्ति योजनांतर्गत अधिकाधिक संख्या में पात्र आवेदनों से आवेदन कराने व उनकी पूर्ण जांच उपरान्त निर्धारित अवधि में पात्र आवेदनों की ऑनलाईन स्कूटनी कर अग्रेषित करवाये जाने के संबंध में निर्देश प्रदान करावें। पोर्टल पंजीयन के अभाव में विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन नहीं कर पाने की स्थिति में संस्था जिम्मेदार होगी तथा विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.minority.rajasthan.gov.in एवं National Scholarship Portal (www.scholarships.gov.in) पर देखी जा सकती है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

कार्यालय शासन सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
जयपुर सं. 7286
दिनांक 11/10/19

(राधेश्याम डेलू)
उपनिदेशक - द्वितीय

क्रमांक:- एफ4(3)अ0स0नि0/मेरिट कम मीन्स/छात्रवृत्ति/2019-20/ 10102-104
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक :- 23/9/19

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

(सुरजान मीना)
सांख्यिकी अधिकारी

ECE
JSTE-1
SHE-4

Y.N.
9-10-19

F.A.
10/10/19
000 (Sun)

11.10.19
721
11-10-19

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ० राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302015
ईमेल: raj.minocell@gmail.com
वेबसाइट: www.minority.rajasthan.gov.in

फोन: 0141-2711773

क्रमांक:- एफ4(3)अ0स0नि0/मेरिट कम मीन्स/छात्रवृत्ति/2019-20/ 8764-न0

दिनांक :- 27/8/19

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
4. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
5. शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
6. आयुक्त, पशु पालन विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
7. आयुक्त, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।

विषय :- वर्ष 2019-20 में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर शिक्षण संस्थाओं के पंजीयन तथा छात्रवृत्ति के ऑनलाईन आवेदन पत्रों एवं उनकी स्कूटनी कराने बाबत।

संदर्भ:- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्रांक दिनांक 21.08.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में निवेदन है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2019-20 में अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी) हेतु संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित पोस्ट मैट्रिक व मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं में समुदाय के अध्ययनरत विद्यार्थियों को दिनांक 31.10.2019 तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि निर्धारित की है।

राज्य की शिक्षण संस्थान का अभी तक पोर्टल पर पंजीयन बहुत कम हुआ है जिसके सम्बन्ध में दिनांक 19.08.2019 को मंत्रालय स्तर पर आयोजित कार्यशाला में गहरा अफसोस जाहिर किया गया है। अतः ऐसी शिक्षण संस्थाएँ जिनमें समुदाय के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तथा जिनका एन0एस0पी0 पोर्टल पर अभी तक पंजीयन नहीं है, उन्हें संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से सम्पर्क कर निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से पंजीयन करावें, अन्यथा ऑनलाईन आवेदन किया जाना संभव नहीं होगा।

शिक्षण संस्थाओं हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश:-

1. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जिन विद्यालयों/महाविद्यालयों अथवा संस्थाओं के DISE CODE/ AISHE CODE वैध नहीं है, ऐसी संस्थाओं के पंजीकरण निरस्त कर दिये गये हैं। इन संस्थाओं द्वारा वैध/VALID DISE CODE/ AISHE CODE प्राप्त करने पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पुनः पंजीकरण करवाया जा सकता है।
2. पोर्टल पर पूर्व में पंजीकृत सभी संस्थाओं के पंजीकृत ई-मेल आई.डी. व मोबाइल नं० Deactivate कर दिए गए हैं, जिसके अन्तर्गत संबंधित शिक्षण संस्था नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर लॉगिन कर होमपेज पर प्रदर्शित अनुसार संस्था registration form भरें एवं ऑनलाइन फार्म सबमिट कर रेफरेन्स आई.डी. प्राप्त करें। संस्था प्रधान फार्म का प्रिंट आउट प्रमाणित कर संबंधित कार्यालय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी में जमा करावें, तत्पश्चात् जिला अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन फ्रे पश्चात् शिक्षण संस्था को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर एक्टिवेट कर दिया जावेगा।

अतः उक्त संबंध में आपके अधीनस्थ शिक्षण संस्थाओं को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अधिकाधिक संख्या में पंजीयन बाबत आवश्यक निर्देश एवं छात्रवृत्ति योजनांतर्गत प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों की पूर्ण जांच उपरान्त निर्धारित अवधि में 15.11.2019 तक पात्र आवेदनों की ऑनलाईन स्कूटनी कर अग्रेषित करवाये जाने के भी शीघ्र निर्देश जारी कराने का श्रम करे, ताकि योजना से कोई भी पात्र विद्यार्थी लाभान्वित होने से वंचित नहीं रहे, अन्यथा सम्पूर्ण प्रकार की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षण संस्था की होगी तथा इस संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.minority.rajasthan.gov.in एवं National Scholarship Portal (www.scholarships.gov.in) पर देखी जा सकती है।

4/26-8-19

(डॉ० गुंजन सोनी)
अतिरिक्त निदेशक

दिनांक :- 27/8/19

क्रमांक:- एफ4(3)अ0स0नि0/मेरिट कम मीन्स/छात्रवृत्ति/2019-20/ 8771-73

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

27/8/19
(सुरजान मीना)
सांख्यिकी अधिकारी